# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 47/2022 आवन्टन निरस्त

| | | |
|---|---|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा<br>—प्रार्थी | बनाम | 1. शिवसिंह पिता दिलिप सिंह यादव निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया<br>—विपक्षीगण |

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री राकेश सुराणा अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

# निर्णय

दिनांक 12.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1339/20 रकबा 0.4047 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1339/20 रकबा 0.4047 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना कर लगातार कृषि कार्य किया हैं। पटवारी हल्का द्वारा यदि निरन्तर जिन्सवारी नही की गयी हैं तो इसमें विपक्षी की क्या गलती हैं? राजस्व नियमावली के अनुसार आवंटी को राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू



अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवंटन नियम 1970) के नियम में किये गये संशोधन अनुसार आवंटित भूमि में आवंटी को तीन वर्ष पश्चात् स्वतः खातेदारी अधिकार प्रदत्त हो जाते हैं। आवंटन सलाहकार समिति ने नियमानुसार आवंटन आदेश जारी किये हैं एवं ऐसा आवंटन बिना किसी तकनीकि त्रुटि के खारिज किये जाने योग्य नहीं हैं। उक्त प्रकरण आवंटन के लगभग 32 वर्ष पश्चात् प्रस्तु किया गया हैं जो विधि विरूद्व हैं। निवेदन हैं कि आवंटन निरस्तीकरण का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर आवंटी के आवंटन को बहाल रखाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1339/20 रकबा 0.4047 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। अप्रार्थी स्वयं ने भी आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नही किया हैं, न ही आवंटन के प्रथम 03 वर्ष में विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना कर आवंटनशुदा भूमि पर काश्त की गयी हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणिक दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1339/20 रकबा 0.4047 हैक्ट. भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1339/20 रकबा 0.4047 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)